



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 26, 2019/फाल्गुन 7, 1940
No. 139] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019/PHALGUNA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सं. 06 /2019-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 155(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

तीसरे परन्तुक में, शब्द और अंक "2 मार्च 2019", के स्थान पर शब्द और अंक "1 अप्रैल, 2019" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा.सं. 341/15/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट:—प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 29 जनवरी, 2019 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2019

No. 06/2019-Customs

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the third proviso for the words and figures “2nd day of March, 2019”, the words and figures “1st day of April, 2019” shall be substituted.

[F. No. 341/15/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note:—The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide*, notification No. 03/2019 -Customs, dated the 29th January, 2019 published, *vide*, number G.S.R. 61(E), dated the 29th January, 2019.